



2026:AHC:11376

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 22754/2025

रामवीर सिंह

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता:

अवधेश सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री यागवल्क पांडेय की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक रामवीर सिंह की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 152/2025, धारा 8/18, 39, 60, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन- दातागंज, जिला- बदायूं के अंतर्गत मामले में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अवरोधन के दौरान, आवेदक द्वारा पहनी गई पैंट से केवल 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, सह-अभियुक्त इरशाद खान द्वारा पहनी गई पैंट से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई और शेष 6 किलोग्राम अफीम उस कार से बरामद हुई जिसमें आवेदक यात्रा कर रहा था। वास्तव में, आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई। आगे यह भी कहा गया है कि बरामदगी घनी आबादी वाले क्षेत्र में की गई थी, इसलिए, स्वतंत्र सार्वजनिक प्रत्यक्षदर्शी की अनुपस्थिति में, इस मामले में आवेदक को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, 52ए, 55 और 57 का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने और उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 30.4.2025 से जेल में है और जिसके खिलाफ आपराधिक इतिहास का एक मामला दर्ज है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक के पास से 2 किलोग्राम अफीम और उस कार से जिसमें आवेदक यात्रा कर रहा था, 6 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त अंतरराज्यीय तस्करी में पूरी तरह से शामिल थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपने स्वैच्छिक बयान में स्वीकार किया है, जो उनके सभी बयानों का खंडन करता है। उन्होंने आगे बताया कि जहां तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का संबंध है, आरोपियों की तलाशी क्षेत्राधिकारी श्री कृष्ण कुमार तिवारी की उपस्थिति में ली गई थी, जो एक राजपत्रित अधिकारी हैं, इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। 105 बीएनएसएस के प्रावधान के अनुपालन में, पुलिस दल द्वारा बरामदगी की वीडियोग्राफी भी की गई थी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि व्यावसायिक मात्रा से अधिक अफीम की बरामदगी संबंधित वाहन से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 इस मामले में लागू होती है, अतः जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार किया है और आलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

यह स्पष्ट है कि तलाशी के दौरान आवेदक के पास से 2 किलोग्राम अफीम और आवेदक जिस कार में यात्रा कर रहा था, उससे 6 किलोग्राम अफीम बरामद की गई, जो व्यावसायिक मात्रा से अधिक है।

इस न्यायालय ने हाल ही में **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहम्मद नवाज़ खान** के मामले पर विचार किया है, जो एआईआर 2021 एससी 447 में प्रकाशित हुआ है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिबंधित वस्तु को एक बैग में छिपाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अभियुक्त के पास प्रतिबंधित वस्तु का न होना अपने आप में जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। पैराग्राफ 20 और 29 में यह कहा गया है कि:-

20. उपर्युक्त नज़ीर के आधार पर, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा जमानत देते समय लागू की जाने वाली कसौटी यह है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और क्या जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

29. 16 अक्टूबर 2019 को दर्ज की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि 26 मार्च 2019 को लगभग 1400 बजे, यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उसी दिन 1500 से 1700 बजे के बीच, तीनों अभियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। शिकायत में कहा गया है कि इस सूचना को तत्काल लिखित रूप में दर्ज कर लिया गया था। इसलिए, यह तर्क कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का पालन नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था, प्रथम दृष्ट्या गलत प्रतीत होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे विचारण के दौरान उठाया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद नवाज़ खान (उपरोक्त) के मामले में पैराग्राफ संख्या 24 और 25 में निम्नलिखित भी कहा है:

24. प्रतिवादी के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी न होने के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के बारे में, हम ध्यान देते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मल्लिक मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी थी और उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष को पलट दिया था, जिसमें यह माना गया था कि चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ (हेरोइन) एक ट्रक के केबिन के ऊपर विशेष रूप से बनाई गई गुहा से बरामद की गई थी, इसलिए अभियुक्त के 'कब्जे' में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया था। न्यायालय ने कहा कि केवल प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे पर निष्कर्ष निकालना धारा 37 (1) (ख) के मापदंडों को पूरा नहीं करता है और उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था।

25. रतन मल्लिक (सर्वोच्च न्यायालय) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, हम इस विचार के हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पास प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे न होने का निष्कर्ष इस मामले में उचित नहीं है। आक्षेपित आदेश इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत आवश्यक जांच के स्तर से मुक्त नहीं करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 25 में आगे कहा है कि अभियुक्त के पास प्रतिबंधित वस्तु न होने से उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (ii) के तहत आवश्यक जांच से छूट नहीं मिलती।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है। अभियुक्त के पास प्रतिबंधित वस्तु का भौतिक कब्जा न होना, अभियुक्त को दोषी न ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तर्क कि बरामदगी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त के सचेत कब्जे से नहीं हुई थी, मोहम्मद नवाज़ खान के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में खारिज किया जाता है।

स्टेट बनाम सैयद आमिर हसनैन (2002) 10 एससीसी 88 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के दो निर्णयों, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम समुझ (1999) 9 एससीसी 382 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अहरवा दीन (2000) 9 एससीसी 382, के आलोक में यह माना है कि उच्च न्यायालय भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से बाध्य होगा और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को रिहा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान पूरे न हों।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मादक पदार्थों की तलाशी और जब्ती के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया, सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 5544/2024 (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 12120/2024) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम कासिफ, दिनांक 20.12.2024 को दिए गए निर्णय में यह माना है कि धारा 52ए की उपधारा (2) में धारा 1 की उपधारा में परिकल्पित प्रक्रिया निर्धारित है, और इसका कोई भी उल्लंघन या विलंबित अनुपालन केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी, जो न तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का हकदार बनाएगी और न ही केवल इस आधार पर मुकदमे को अमान्य करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भरत अम्बाले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, [2025 आईएनएससी 78] में प्रकाशित मामले में, इस दलील पर विचार करते हुए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का अनुपालन न करने के कारण दोषसिद्धि अमान्य हो गई थी, अपने फैसले के पैरा 50 में निम्नलिखित कहा है:

50. हम अपने अंतिम निष्कर्ष को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(I) यद्यपि धारा 52ए मुख्य रूप से जब्त की गई प्रतिबंधित वस्तुओं के सुरक्षित निपटान और विनाश के लिए है, फिर भी यह मादक पदार्थों के निपटान के तात्कालिक संदर्भ से परे है, क्योंकि यह नशीले पदार्थों की जब्ती के बाद उनके उपचार में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करती है, क्योंकि इसमें सूची तैयार करने, जब्त किए गए पदार्थों की तस्वीरें लेने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और प्रमाणन के साथ उनसे नमूने लेने का प्रावधान है। केवल राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नमूने लेना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए उपधारा (2) के तहत अनिवार्यताओं का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।

(II) यद्यपि, यह अनिवार्य नहीं है कि जब्त पदार्थ से नमूने लेना जब्ती के समय ही हो, जैसा कि मोहनलाल (उपरोक्त) में कहा गया है, फिर भी हमारा मत है कि जब्त पदार्थ की सूची बनाना, फोटो खींचना और नमूने लेना, जहां तक संभव हो, अभियुक्त की उपस्थिति में होना चाहिए, हालांकि यह प्रक्रिया जब्ती स्थल पर ही न की जाए।

(III) जब्त पदार्थ की कोई भी सूची, तस्वीरें या नमूने जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए और उसके अंतर्गत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में तैयार किए गए हों, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए की उपधारा (4) के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, चाहे पदार्थ मूल रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या नहीं। (IV) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत स्थायी आदेशों/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, और इस प्रकार जो आवश्यक है वह उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है।

(V) धारा 52ए या उसके अंतर्गत स्थायी आदेश/नियमों के तहत प्रक्रिया का मात्र अनुपालन न करना मुकदमे के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्यों में ऐसी विसंगतियां न हों जो अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती हों,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो अनुपालन किए जाने पर मौजूद नहीं होतीं। न्यायालयों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में मौजूद विसंगतियों का समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रक्रियात्मक चूकों को ध्यान में रखते हुए उनका अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।

(VI) यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री, मौखिक या दस्तावेजी, विश्वास जगाती है और न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों से निषिद्ध सामग्री की बरामदगी और सचेत कब्जे के संबंध में संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, न्यायालय धारा 52ए के तहत किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए बिना किसी संकोच के कार्यवाही कर सकता है।

(VII) उक्त प्रावधान या उसके अंतर्गत नियमों का अनुपालन न करना या अनुपालन में देरी करना न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है, हालांकि ऐसा निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(VIII) जहाँ पुलिस की ओर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में या अभियोजन पक्ष द्वारा इसे साबित करने में चूक हुई हो, वहाँ न्यायालय के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध के कमीशन की वैधानिक अनुमान का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय रिकॉर्ड में मौजूद अन्य सामग्री से अभियुक्त व्यक्तियों से ऐसी सामग्री की जब्ती या बरामदगी के संबंध में अन्यथा संतुष्ट न हो।

(IX) शुरुआती ज़िम्मेदारी अभियुक्त पर होगी कि वह सबसे पहले वे बुनियादी तथ्य सामने रखे, जिनसे यह साबित हो सके कि धारा 52A का पालन नहीं किया गया था—चाहे वह अपने खुद के सबूत पेश करके ऐसा करे या अभियोजन पक्ष के सबूतों पर भरोसा करके; और इसके लिए ज़रूरी मानक केवल 'संभावनाओं की प्रबलता' ही होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(X) एक बार जब स्थापित आधारभूत तथ्य एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के अनुपालन न होने का संकेत देते हैं, तो अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व होगा कि पुख्ता सबूतों से यह सिद्ध किया जाए कि या तो (i) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के आदेश का पर्याप्त अनुपालन किया गया था या (ii) न्यायालय को संतुष्ट किया जाए कि इस प्रकार का अनुपालन न होना अभियुक्त के विरुद्ध उसके मामले को प्रभावित नहीं करता है, और आवश्यक प्रमाण का मानक उचित संदेह से परे होगा।"

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस स्तर पर साक्ष्यों पर गहराई से चर्चा करना अनुचित होगा क्योंकि इससे अभियुक्त के मुकदमे पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन, अब तक की जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया, इस मामले में अभियुक्त की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, इस स्तर पर आवेदक-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क मामले की खूबियों से संबंधित हैं और जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय इस स्तर पर यह राय बनाने में असमर्थ है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है।

अंततः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और सजा की कठोरता को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में जमानत का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत याचिका के संबंध में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत याचिका पर निर्णय तक ही सीमित हैं और यहाँ की गई कोई भी टिप्पणी मामले की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।